राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2007/2010/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, अलवर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स प्रोमिनेन्ट रोड कैरियर 315 ई,
इन्द्रलोक, दया बस्ती, दिल्ली .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 103/आरएसटी/एनआरडी/1999–00 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.1999 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत कायम शास्ति राशि रूपये 45,000/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 02.09.1999 को वाहन संख्या RJ-14G/5260 को चैक किया गया। वाहन में लदे माल सम्बन्धित दस्तावेज चाहन चालक/माल प्रभारी से मांगे जाने पर वांछित दस्तावेज प्रस्तत किये गये, प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई, दस्तावेज जो जांच पर पाया गया कि परिवहनित माल के प्रेषक व प्रेषिति बोगस प्रतीत होते है तथा माल राजस्थान में ही अनलोड होने की संभावना है। बोगस बिलों द्वारा माल का परिवहन करना धारा 78(2) का उल्लंघन है इस कारण से सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवसाई को नोटिस दिया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर परिवहनित किये जा रहे माल धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रत्यर्थी बावजूद सूचना जरिये प्रकाशन अनुपस्थित।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि माल राज्य में अनलोड होते हुये चैक नहीं किया गया था। सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। सशक्त अधिकारी द्वारा तथ्यों को बिना देखें ही शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जो वैधानिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। परिवहनित माल के साथ वांछित दस्तावेज मौजूद थे प्रत्यर्थी की कर चोरी की कोई मंशा नहीं थी। 1998–108–एसटीसी–490 स.वा.क.अ. बनाम सोढी ट्रांसपोर्ट कंपनी के निर्णय में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि जब माल एक राज्य के बाहर के लिये परिवहनित किया जा रहा हो तो शास्ति आकर्षित नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय 10 एसटीटी पेज 218 में भी उक्त सिद्वांत को सुनिश्चित किया है। अन्य सभी दस्तावेज वाहन के साथ मौजूद थे, जिनको सशक्त अधिकारी द्वारा मिथ्या बोगस भी प्रमाणित नहीं किया गया था। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश प्रसारित किया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य